"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2005—कार्तिक 27, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-01/2005/1/एक.—माननीय न्यायाधिपति श्री सुब्राय रामा नायक, न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय जिनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर भारत सरकार विधि एवं न्यास मंत्रालय (न्यास विभाग की अधिसूचना क्रमांक के. 13030/3/2005- यू. एस. II, दिनांक 10 नवम्बर, 2005) द्वारा की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 17 नवम्बर, 2005 को सायं 5.30 बजे ग्रहण किया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 5-01/2005/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 नवम्बर, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 18th November 2005

NOTIFICATION

No. F5-1/2005/1/One.—Hon'ble Justice Shri Subray Rama Nayak, Judge of the Karnataka High Court, who has been appointed as Chief Justice to Chhattisgarh High Court, by the Government of India, Ministry of Law and Justice (Justice Department Notification No. K. 13030/3/2005-U.S. II, Dated 10th November, 2005) has assumed charge of the office on the 17 November, 2005 at 5.30 p.m.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PANKAJ DWIVEDI, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.